सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा – 2018 ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु तकनीकी/परिचालन एवं संशोधन संबंधी सामान्य दिशा निर्देश

सर्वप्रथम आवेदक वेबसाइट में संशोधन हेतु दिये गये दिशा–निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

आवेदक द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 हेतु भरे गये ऑन लाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी एक विवरण अथवा एक से अधिक विवरण (अभ्यर्थी का नाम, आवेदित जनपद एवं सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी के परस्पर, को छोड़कर) में संशोधन मात्र एक बार ही किया जा सकेगा एक बार संशोधन किये जाने के पश्चात् किसी भी स्तर/अवस्था में पुनः संशोधन नही किया जा सकेगा।

संशोधन हेतु नियत अवधि में अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक संशोधन करे एवं साथ ही संशोधन करने के उपरान्त SAVE करने से पूर्व अपने संशोधित प्रविष्टि की भली–भॉति जॉच कर लें। क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा भरा गया संशोधित विवरण ही अन्तिम होगा और इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा संशोधन अवधि में अंकित विवरण के अनुसार ही प्रवेश पत्र व परीक्षा परिणाम निर्गत किया जायेगा और भविष्य में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

तकनीकी/ऑपरेशनल दिशा निर्देश

1. यदि आवेदक को अपनी प्रविष्टियों को संशोधित करना है तो ऑन लाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु वेबसाइट पर दिये गये विकल्प " ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करें " को क्लिक करें। तत्पश्चात खुले हुये नयी स्क्रीन पर **रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं बैंक से प्राप्त ट्रान्जेक्शन आई0डी0/जनरल नं0 (SBCollect Reference Number)** को भरने के बाद **Edit** हेतु निर्मित बटन को क्लिक करेंगे।
2. तत्पश्चात आवेदक द्वारा पूर्व में भरी गयी प्रविष्टयों के साथ ऑनलाइन फार्म प्रदर्शित हो जायेगा। आवेदक को अपनी जिस भी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि **(अभ्यर्थी का नाम, आवेदित जनपद एवं सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी के परस्पर, को छोड़कर)** को संशोधित करना है वे उस प्रविष्टि के सामने बने हुये चेक बॉक्स पर टिक करने के पश्चात संशोधित प्रविष्टि का अंकन करें।
3. हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/स्नातक/शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता/शिक्षक पात्रता परीक्षा के किसी भी विवरण में संशोधन करने के लिए अभ्यर्थी को उस पंक्ति के सामने अंकित चेक बॉक्स पर टिक करने के पश्चात उस पंक्ति के सम्पूर्ण विवरण को पुनः अंकित करना होगा।
4. आवेदन पत्र में उल्लिखित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं UPTET/CTET के परस्पर संशोधन करने हेतु अभ्यर्थियों को सम्बन्धित ड्राप डाउन बॉक्स में अपनी संशोधित योग्यता को चयनित करना होगा तथा पुनः से शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता के कॉलम में शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता अथवा UPTET/CTET के विवरण के पंक्ति (Row) में अंकित समस्त प्रविष्टियों को अंकित करना होगा।
5. संशोधन के पश्चात पुनः भली भॉति मिलान करते हुए अभ्यर्थी **FINAL SAVE** बटन को क्लिक करें। तथा अपना संशोधित फार्म का प्रिंट आउट अवश्य ले लें।

सामान्य दिशा निर्देश

1. आवेदक निर्धारित बेवसाइट पर जाकर आवेदन पत्र में संशोधन करने के विन्दु को क्लिक करने के उपरान्त बेवसाइट पर संशोधन करने के लिए आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि, तथा बैंक से प्राप्त SBCollect Reference Number (विकलांग को छोड़कर) एंटर (Enter) करेगा ।
2. एंटर (Enter) करने पर स्क्रीन पर पूर्व में भरी गयी प्रविष्टयों के साथ प्रविष्टियों में संशोधन करने के लिए एक फार्म खुल जायेगा। जिसमें आवेदक को वह विवरण भरना होगा जिसमें उसे संशोधन

12/7/18

Scanned by CamScanner

करना है परन्तु **किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी के जनपद, नाम तथा विकलांगता की श्रेणी से सामान्य/सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी में संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

3. उक्त फार्म में जिस पुराने आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन करना हो उसके सामने संशोधन करने हेतु बने ब्लॉक के पहले बने छोटे बॉक्स को टिक करना होगा। टिक करने पर ही उक्त प्रविष्टि में संशोधन किया जा सकेगा।

4. आवेदक संशोधन करते समय यह सावधानी रखे कि उसे जिस प्रविष्टि में संशोधन नहीं करना है उसके सामने बने बॉक्स को टिक न करें।

5. **आवेदक विकलांगता श्रेणी के तीनो विकल्पों दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित एवं शारीरिक अक्षमता की एक उप–श्रेणी से दूसरी उप–श्रेणी में ही संशोधन कर सकता है।**

6. **आवेदन शुल्क की समानता के कारण आवेदक मात्र सामान्य वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग के परस्पर तथा अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के परस्पर ही संशोधन कर सकता है।**

7. आवेदन शुल्क की समानता न होने के कारण **सामान्य वर्ग/पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति/जनजाति के परस्पर संशोधन नहीं किया जा सकेगा।**

8. **विशेष आरक्षण श्रेणी–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थी शुल्क की समानता होने की दशा में आपस में परस्पर तथा अन्य श्रेणी में संशोधन कर सकते हैं।** किन्तु वे ऐसी किसी श्रेणी में संशोधन नहीं कर सकते जिसमें शुल्क में अन्तर हो।

9. आवेदकों की शैक्षिक योग्यता (हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट/स्नातक/शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता/शिक्षक पात्रता परीक्षा) के पूर्व अंकित विवरण में संशोधन करने के लिए उसे जिस परीक्षा में संशोधन करना है उस परीक्षा की समस्त प्रविष्टियों को पुनः भरना होगा। उदाहरण के लिए अगर आवेदक हाईस्कूल की परीक्षा के प्राप्तांक में संशोधन करना चाहता है तो उसे हाईस्कूल की सभी प्रविष्टियों को पुनः अंकित करते हुए अपने संशोधित प्राप्तांक को भरेगा, इस प्रविष्टि में अत्यन्त सावधानी पूर्वक संशोधन करें।

10. यदि अभ्यर्थी के फोटो के स्थान पर त्रुटिवश अन्य अभ्यर्थी का फोटो लग गया है एवं अपनी फोटो में संशोधन करना चाहता हो तो वह अपना अधिकतम 20 kb साईज का फोटो अपलोड कर सकता है।

11. **आवेदक उक्त प्रकिया के द्वारा केवल एक बार ही प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगा, अतः प्रविष्टियों में संशोधन करते समय अत्यन्त सावधानी रखी जाये। प्रविष्टियों में संशोधन करने के उपरान्त फाइनल सेव (Final save) करने से पूर्व वह अपनी प्रविष्टियों के संशोधन को भलीभांति चेक कर लें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही/त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में पुनः सुधार हेतु कोई भी प्रत्यावेदन किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

12. आवेदक फाइनल सेव (Final save) करने के उपरान्त संशोधित फार्म का प्रिन्टआउट निकाल कर उसे अपने सुरक्षित रखें। संशोधित आवेदन पत्र के प्रिंट आउट में अभ्यर्थी द्वारा संशोधित किये गये फील्ड के सामने ← का निशान लगा होगा। संशोधित फार्म का प्रिंट–आउट अभ्यर्थी को मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

सचिव

Scanned by CamScanner